कलेक्टर ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कसी नकेल

जिले के नवागत कलेक्टर के निर्देश के बाद निजी स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग हुआ सख्त, तय दुकान से किताब-यूनिफॉर्म खरीदने की बाध्यता खत्म

नवभारत न्यूज

सीधी 29 मार्च। जिले के नवागत कलेक्टर के निर्देश के बाद निजी स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग सख्त हो चुका है। तय दुकान से किताब-यूनिफॉर्म खरीदने की बाध्यता खत्म की गई है। कलेक्टर ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसी है।

जिले में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसते हुए कलेक्टर विकास मिश्रा ने अभिभावकों को बड़ी राहत प्रदान की है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार अब कोई भी निजी विद्यालय विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों को किसी निर्धारित दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म या अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा। अब तक कई निजी विद्यालय संचालकों द्वारा अभिभावकों को महंगी किताबें, अनावश्यक कॉपियां एवं पूरा सेट खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। जिससे विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। नए निर्देशों के माध्यम से इस प्रकार की मनमानी पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है। जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी स्कूल यह नहीं बताएगा कि किताबें, कॉपियां या यूनिफॉर्म केवल किसी विशेष दुकान या विक्रेता से ही खरीदी जाएं। अभिभावक अब अपनी सुविधा एवं उचित मूल्य के अनुसार किसी भी विक्रेता से सामग्री खरीद सकेंगे। साथ ही किसी भी निजी प्रकाशक या विक्रेता को स्कूल परिसर में किताबों के प्रचार-प्रसार या बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

फीस वृद्धि पर भी नियंत्रण

आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए फीस वृद्धि को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। 10 प्रतिशत तक की वृद्धि स्कूल स्वयं कर सकेंगे। 10 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि के लिए जिला स्तरीय समिति की अनुमति आवश्यक होगी। 15 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के लिए राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

निर्देशों का पालन नहीं करने वाले निजी विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर कार्रवाई की जाएगी। नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य। सभी निजी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि उक्त आदेशों को अपने नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें, ताकि अभिभावकों को उनके अधिकारों की पूरी जानकारी मिल सके। इस निर्णय से अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलने के साथ ही शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

हजारों में आती हैं एलकेजी की किताबें

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी यह है कि इनके द्वारा कुछ खास प्रकाशकों की किताबें मनमानी तौर पर चलाई जाती हैं। कक्षा में प्रवेश के दौरान ही संबंधित अभिभावकों को काउंटर से सख्त निर्देश दिये जाते हैं कि उनके स्कूल में लगने वाली किताबें किस दुकान से मिलेंगी। तत्संबंध में कुछ अभिभावकों का कहना था कि कुछ पेज की किताबों की कीमत सैकड़ों रूपये मनमानी तौर पर प्रिंट रहता है। हालात यह है कि एलकेजी की किताबों का सेट 5 से 6 हजार रूपये में आता है। यह मनमानी इंग्लिस मीडियम स्कूलों में सबसे ज्यादा बनी हुई है।

सद्बुद्धि के लिए कांग्रेसी सुने पीएम के मन की बात कार्यक्रम : डॉ .मिश्रा

सांसद ने वार्ड क्र .11 में सुनी मन की बात कार्यक्रम

नवभारत न्यूज

सीधी 29 मार्च। लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ.राजेश मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात का प्रसारण नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 11 बूथ क्रमांक 251 में बूथ समिति के साथ सुनी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के पश्चात मीडिया से रूबरू होते हुए लोकसभा सांसद डॉ.राजेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात का प्रसारण विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रसारण है। इस प्रसारण में देश की सामर्थ्य शक्ति का पता चलता है। अमेरिका खाड़ी देशों में युद्ध के रूप में मची खलबली पर कटाक्ष करते हुए सांसद डॉ.राजेश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेसी इस आपदा में भी राजनैतिक रोटियां सेंक रहे हैं। पेट्रोल-डीजल व गैस को लेकर तरह-तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं जबकि हमारे देश में डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस की कोई कमी नहीं है फिर भी कांग्रेसी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसी दिग्भ्रमित कांग्रेस और उनके लोगों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मन की बात को अवश्य सुनना चाहिए, उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त होगी। सांसद डॉ. मिश्रा ने कहा कि हर एपिसोड नयापन लिए रहता है। जैसे इस एपिसोड की प्रमुख बातें हमारी प्राचीन धरोहर पांडुलिपियों का संरक्षण, खेलेगा इंडिया खिलेगा इंडिया, फिट इंडिया मुहिम, खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के संकट के बीच भारत की वैश्विक भूमिका सहित अनेक मुद्दों पर देशवासियों का ध्यान आकृष्ट कराया।

सांसद मिश्रा ने सभी जनता जनार्दन से अपील की है कि वे अफवाहों और कांग्रेसियों के बहकावे में ना आए और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शासन प्रशासन पर विश्वास रखें। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुरेन्द्रमणि दुबे, बूथ अध्यक्ष फूलचंद गुप्ता, अनूप गुप्ता, अमित प्रधान, डॉ.मनोज सिंह परिहार सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

महावीर जयंती अवकाश में संशोधन, 30 मार्च को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

नवभारत न्यूज

सीधी 29 मार्च। कलेक्टर विकास मिश्रा ने आदेश जारी कर जनभावनाओं एवं स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला सीधी हेतु पूर्व में घोषित सार्वजनिक अवकाश में संशोधन किया है।

कलेक्टर ने आदेश जारी कर जनभावनाओं एवं स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला सीधी हेतु पूर्व में घोषित सार्वजनिक अवकाश में संशोधन किया है। जारी आदेशानुसार कैलेण्डर वर्ष 2026 के लिए घोषित अवकाशों की सूची में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में 31 मार्च 2026 को घोषित अवकाश के स्थान पर अब संपूर्ण सीधी जिले में 30 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उक्तानुसार 31 मार्च मंगलवार को सभी शासकीय कार्यालय एवं संस्थाएं पूर्ववत खुले रहेंगे।

खासाडोल स्कूल के प्राचार्य राकेश सिंह का धौंहनी विधायक ने किया सम्मान

नवभारत न्यूज

सीधी 29 मार्च। शासकीय माध्यमिक शाला खासाडोल में प्राचार्य राकेश सिंह सहित कई शिक्षकों का सम्मान समारोह विधायक कुंवर सिंह टेकाम के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ।

सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा-अर्चना के बाद सुन्दरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुंवर सिंह टेकाम ने प्राचार्य राकेश सिंह के सफल व उत्कृष्ट कार्यो की सराहना कर साल व श्रीफल से सम्मानित किया तथा उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। विधायक ने कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सेवानिवृत डाइट प्राचार्य डॉ.डी.आर.मिश्र, भूपेन्द्र प्रसाद मिश्र तथा सुरेश कुमार मिश्र शिक्षक सेमरिया, राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, अमित कुमार मिश्र उमाशि को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। कार्यक्रम में मझौली अंचल के समस्त प्राचार्य, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल व संचालन करने वाले अमित मिश्र की विधायक श्री टेकाम ने सराहना कर बधाई दी तथा राजेश शुक्ला की मांग पर हाईस्कूल उन्नयन की घोषणा की।

अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर अमिलिया पुलिस ने जब्त किया रेत से लदा हाइवा व जेसीबी मशीन

नवभारत न्यूज

सीधी 29 मार्च। पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं एसडीओपी चुरहट रवि प्रकाश कौल के मार्गदर्शन में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी अमिलिया निरीक्षक राकेश बैस के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

घटना विवरण अनुसार 26 मार्च की रात्रि थाना अमिलिया की पुलिस टीम वाहन चेकिंग हेतु मूड़ा पहाड़ क्षेत्र में तैनात थी। इसी दौरान मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हरदी में बृजवासी लाल पटेल के ढाबे के सामने जेसीबी मशीन के माध्यम से हाइवा में अवैध रूप से रेत लोड की जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने गवाहों के साथ तत्काल मौके पर दबिश दी। तस्दीक के दौरान पाया गया कि हाइवा क्रमांक यूपी 63 एटी 2022 में जेसीबी मशीन क्रमांक यूपी 63 एटी 7172 द्वारा अवैध रूप से रेत का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था। मौके पर मौजूद मुख्य आरोपी बृजवासी लाल पटेल से रेत उत्खनन व भंडारण के संबंध में वैध दस्तावेज/लाइसेंस मांगे गए, जो प्रस्तुत नहीं किए जा सके। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए रेत से लदे हाइवा और जेसीबी मशीन को मौके पर ज़ब्त कर लिया है। अंधेरे का लाभ उठाकर हाइवा चालक फरार होने में सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2), 317(5) एवं खान खनिज अधिनियम की धारा 4, 21 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अमिलिया निरीक्षक राकेश बैस, उप निरीक्षक राजमणि अहिरवार, प्रधान आरक्षक लोकेन्द्र सिंह, आरक्षक अभिषेक चौधरी एवं रघुराज सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

रामपुर नैकिन में नि :शुल्क प्याऊ का हुआ शुभारंभ

नवांकुर संस्था जनजीवन सेवा समिति बघवार ने किया पुनीत कार्य

नवभारत न्यूज

रामपुर नैकिन 29 मार्च। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद सीधी के जिला समन्वयक मुकेश कुमार गौर के आदेशानुसार और विकाशखण्ड समन्वयक अनिल पाठक के मार्गदर्शन में आज 29 मार्च को नवांकुर संस्था की ओर से नि: शुल्क प्याऊ का कार्य किया गया।

इस दौरान नवांकुर संस्था के सचिव अर्चना शुक्ला, सुभाष मिश्रा, परामर्शदाता रामनिवास सोनी, रानू मिश्रा, निपेन्द्र कुशवाहा, छात्रा भारती सिंह, सरस्वती सिंह, भावना गुप्ता, खुशी द्विवेदी, स्वाती द्विवेदी आदि लोगों कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

यूजीसी काला कानून के विरोध में सीधी सांसद को सौंपा गया ज्ञापन

नवभारत न्यूज

सीधी 29 मार्च। श्री राजपूत करणी सेना (कालवी विचार धारा) के तत्वाधान में आज रविवार को रॉयल राजपूत संगठन एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने यूजीसी काले कानून को वापस लेने हेतु सीधी-सिंगरौली लोकसभा सांसद राजेश मिश्रा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया।

सांसद श्री मिश्रा के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि यह काला कानून वापस हेतु प्रयासरत है और सरकार इस कानून को वापस लेने हेतु विचार कर रही है। श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश मंत्री नारेन्द्र सिंह बाघेल, रॉयल राजपूत संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री विक्रम सिंह चौहान एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के सीधी जिला अध्यक्ष राकेश दुबे के द्वारा सांसद से यूजीसी पर आक्रोश व्यक्त करते हुए काला कानून सरकार को तत्काल वापस लेने की हिदायत दिया गया है अन्यथा सवर्ण वर्ग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा जिसकी पूर्ण जवाबदारी शासन-प्रशासन एवं सरकार की होगी। ज्ञापन सौंपने में में राजपूत करणी सेना के प्रदेश महासचिव सजन सिंह बाघेल, जिला अध्यक्ष प्रमोद सिंह परिहार, कार्यकारी अध्यक्ष प्रभात सिंह बाघेल, संभागीय उपाध्यक्ष प्रकाश सिंह बाघेल, जिला उपाध्यक्ष सुधांशु सिंह बाघेल, सीधी नगर अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान, आईटी सेल प्रभारी हर्ष सिंह चौहान, पनवार मंडल मंत्री अजय सिंह बाघेल, रॉयल राजपूत संगठन से सानेंद्र सिंह चौहान, मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश सिंह चौहान, गौरव सिंह परिहार, अमन सिंह चौहान, अमित सिंह चौहान, उपेन्द्र सिंह, अतुल सिंह चौहान, प्रदीप सिंह, विक्रमादित्य सिंह बाघेल, दीपक सिंह चौहान, राजू सिंह चौहान चौफाल एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न पाण्डेय, जिला उपाध्यक्ष रवीन्द्र पाण्डेय, पंडित आद्या प्रसाद शास्त्री, बृजेश तिवारी, पुष्पेन्द्र पाठक, शालू शुक्ला, रवि मिश्रा, मंगल मिश्रा सहित कई अन्य साथी उपस्थित रहे।

पेट्रोल पंप संचालकों एवं गैस एजेंसी संचालक को कलेक्टर ने जारी किया शोकाज नोटिस

नवभारत न्यूज

सीधी 29 मार्च। कलेक्टर द्वारा पेट्रोल पंप संचालकों एवं गैस एजेंसी संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।

कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा प्रकाश सुखेजा एवं विजय सुखेजा प्रोपराइटर सुखेजा एंड ब्रदर्स को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। खाद्य विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार 13 मार्च 2026 को निरीक्षण के दौरान संबंधित पेट्रोल पंप पर डीजल एवं पेट्रोल का स्टॉक उपलब्ध नहीं पाया गया, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसे आपूर्ति बनाए रखने में लापरवाही मानते हुए संबंधित संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। यह कृत्य मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन तथा अनाचार निवारण) आदेश, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है। संबंधित संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे 7 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इसी तरहट कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा भारतलाल सिंह प्रोपराइटर प्रताप गैस सर्विस को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। खाद्य विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार निरीक्षण के दौरान गैस एजेंसी में उपभोक्ताओं की अत्यधिक भीड़ पाई गई तथा होम डिलीवरी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। यह स्थिति शासन के निर्देशों के विपरीत पाई गई, जिसमें एलपीजी की सुचारू आपूर्ति एवं प्राथमिकता के आधार पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त कृत्य को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के उल्लंघन के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडनीय माना गया है। संबंधित संचालक को 7 दिवस के भीतर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कुसमी तहसील के कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस

तहसील कुसमी में पदस्थ कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर टीकम प्रसाद पनिका के विरुद्ध अनुशासनहीनता के आरोप में कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संबंधित कर्मचारी द्वारा नशे की हालत में सहकर्मी के साथ अनुचित व्यवहार करने एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप है। साथ ही वह लगभग एक माह से बिना अनुमति के अनुपस्थित भी पाया गया है। प्रकरण को गंभीर मानते हुए संबंधित कर्मचारी को 7 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नवोदय विद्यालय चुरहट में कलेक्टर ने किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज

सीधी 29 मार्च। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय चुरहट में रविवार को कलेक्टर विकास मिश्रा ने निरीक्षण कर विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्राचार्य डॉ.डी.के. त्रिपाठी, उप प्राचार्य सुबोध कुमार तिवारी एवं अकादमिक प्रभारी रुपेश चौधरी से चर्चा कर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, शैक्षणिक वातावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

कलेक्टर ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनका फीडबैक प्राप्त किया और उन्हें प्रेरित करते हुए बेहतर भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने विद्यालय में गर्ल्स बाउंड्री वॉल एवं पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएमएफ फंड के उपयोग, स्वच्छता, लाइब्रेरी, विद्युत व्यवस्था, विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, परीक्षा प्रबंधन तथा विद्यालय संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्यार्थियों की सुविधाओं एवं समस्याओं के समाधान में तत्परता बरती जाए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी चुरहट विकास आनंद सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। विद्यालय प्रबंधन समिति के अभिभावक सदस्य प्रवेश कुमार पाण्डेय से भी कलेक्टर ने चर्चा की, जिन्होंने विद्यालय में हो रहे सुधारात्मक कार्यों की सराहना की।

अंत में प्राचार्य डॉ.त्रिपाठी ने कलेक्टर एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

चोरी से खेत में पाइप बिछाकर सिंचाई के विवाद में फूटे सिर, 3 घायल

चुरहट थाना में पांच आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज

नवभारत न्यूज

सीधी 29 मार्च। चुरहट थाना अंतर्गत ग्राम पड़खुरी 586 में देर रात चोरी से खेत में पाइप बिछाकर सिंचाई करने के विवाद में हुई मारपीट में 3 लोग घायल हो गये। घायलों के सिर फूटने से उन्हें उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पड़खुरी 586 निवासी चंद्रवती देवी पति इंद्रलाल गुप्ता उम्र 60 वर्ष के अनुसार 27 मार्च की रात घर के सभी लोग सो गये थे। देर रात राम सुमिरन पटेल इनके खेत से पानी का पाइप बिछाकर सिंचाई के लिये अपने बोर तक ले गया था। 28 मार्च को सुबह जब परिवार के लोग उठे और देखे तो इनके खेत में राम सुमिरन पटेल के पानी का पाइप बिछा हुआ था। यह देखकर चंद्रवती देवी का बेटा संदीप गुप्ता ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस वाले आये और पाइप को खेत से हटवा कर चले गये। इसके बाद शाम करीब 5 बजे राम सुमिरन पटेल के बेटे अंकुश पटेल एवं लवकुश पटेल आये और इसी बात को लेकर संदीप गुप्ता के साथ गाली-गलौज करते हुये हांथ-मुक्का, डंडा, ईंटा-पत्थर से मारपीट करने लगे। चोंट लगने से संदीप गुप्ता बेहोश होकर गिरा गया। इसके बाद मौके पर चंद्रवती देवी और इनके पति इंद्रलाल गुप्ता मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव करने लगे। उस दौरान राम सुमिरन पटेल एवं उसकी पत्नी कुशुमकली पटेल हंसिया लेकर आये और गाली-गलौज करते हुये दोनो से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में इनकी ननद मीना पटेल भी ईंटा से मारपीट में शामिल हो गई। हल्ला-गुहार मचने पर लोगों के दौड़ने पर जान से मरवाने की धमकी देते हुये चले गये।

इन धाराओं में आरोपियों पर मामला दर्ज

पांचों आरोपियों में अंकुश पटेल, लवकुश पटेल, राम सुमिरन पटेल, कुशुमकली पटेल एवं मीना पटेल सभी निवासी ग्राम पड़खुरी 586 चुरहट के विरूद्ध चुरहट पुलिस ने धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।